न्यायालय मुंसिफ,

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–73/2016

राम प्रवेश राय वगैरह............................वादीगण।

बनाम

सिंगेश्वर राय वगैरह.....................................प्रतिवादीगण।

दिनांक–04.07.2023

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी है। वादी अनुपस्थित है। आज अभिलेख वादी की ओर आदेश 39 नियम 7 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक–26.02.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी काफी जबरदस्त, दंबंग व मुकदमाबाज व्यक्ति हैं तथा प्रतिवादी आपस में एक दीगरे राय के है तथा प्रतिवादीगण अपने दरवाजे पर असमाजिक तथ्यों को उठाते बैठाते हैं। वादी सं0 01 को संदेह है कि तकरारी जमीन मुन्दर्जे सूची सं0 01 अर्जीनालिश का हैत बदल दे। इसलिए न्याय के लिए आवश्यक है कि वर्तमान में तकरारी एराजी मुन्दर्जे सूची 01 अर्जीनालिश की वस्तु स्थित क्या है? यह रेकर्ड पर आ आए और यह तभी संभव है कि किसी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त को बहाली कर उनसे इसके निस्वत प्रतिवेदन आ जाए।

प्रतिवादी सं0 04 वो 05 की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 21.06.2022 को दाखिल कर कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आदेश 39 नियम 7 के अंतर्गत दाखिल आवेदन पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है, क्योंकि वादी ने जिस भूमि का जांच के लिए स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति करना चाहते है वह वादपत्र का अंश नहीं है। वादी साक्ष्य एकत्रित करने के ख्याल से अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति करवाना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन दिनांक 26.02.2022 को खारिज किया जाए।

वादी के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त वाद में वादी स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त की नियुक्ति हेतु दाखिल किया है। वादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादीगण अपने दरवाजे पर असमाजिक तथ्यों को उठाते बैठाते हैं। वादी सं0 01 को संदेह है कि तकरारी जमीन मुन्दर्जे सूची सं0 01 अर्जीनालिश का हैत बदल दे। इसलिए न्याय के लिए आवश्यक है कि वर्तमान में तकरारी एराजी मुन्दर्जे सूची 01 अर्जीनालिश की वस्तु स्थित रेकर्ड पर आना आवश्यक हो गया है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए तकरारी एराजी का वर्तमान भौतिक स्वरूप अभिलेख पर आना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी की ओर से दाखिल स्थानीय अधिवक्ता आयुक्त नियुक्ति आवेदन दिनांक 26.02.2022 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी अधिवक्ता आयुक्त शुल्क 3500/—रूपया नजारत में जमा करें। अधिवक्ता आयुक्त के रूप में श्री अभय कुमार सिंह को नियुक्ति किया जाता है।

वाद दिनांक........................को 89सी0पी0सी0 के अंतर्गत नियत किया जाता हैं।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।